माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15,1990 द्वारा पारित)

Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communic

(Setup by Act. No.15,1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा/ऑनलाइन/5545 भोपाल,दिनांकः 20/05/2024

परिपत्र

(आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा अंक प्रेषण हेतु दिशा–निर्देश)

परीक्षा मई–जून 2024 हेतु समस्त पाठ्क्रमों के आंतरिक अंक एवं पीजीडीसीए/डीसीए के प्रायोगिक परीक्षा अंक प्रेषण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश घोषित किये जाते हैः–

(अ) समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंक

1. समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंको को ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि **30/06/2024** निर्धारित की गई है।

2. (अ) अध्ययन संस्थाओं/शैक्षणिक विभागों द्वारा विषयवार आंतरिक अंक ऑनलाईन भरने के उपरांत संबंधित संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा उसे अंतिम रूप से ऑनलाईन अनुमोदित **'Send to University' करना अनिवार्य है।** अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग **आंतरिक अंकों की ऑनलाइन में प्रविष्ठि करना दिनांक 30/06/2024** तक सुनिश्चित करें।

   (ब) निर्धारित अंतिम तिथी 30-06-2024 के पश्चात् विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रं परीक्षा/2020/272 दिनांक 19-3-2020 के अनुसार आंतरिक एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्ठि निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ की जायेगी। उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रथम अवसर की अवधि दिनांक 01-07-2024 से 07-07-2024 तक रहेगी जिसमें विलम्ब शुल्क रूपये 100/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्ठि देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय अवसर की अवधि दिनांक 08-07-2024 से 14-07-2024 तक रहेगी जिसमें 200/- प्रति विद्यार्थी प्रति प्रविष्टि बिलम्ब शुल्क देय होगा।

   द्वितीय अवसर की निर्धारित अवधि दिनांक 14-07-2024 समाप्त होने के पश्चात किसी भी स्थिति में आंतरिक एवं प्रायोगिक अंको को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग आंतरिक अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरांत रिर्पोट का स्पष्ट प्रिंटआउट (बारकोड सहित) निकालकर, इस प्रिंटआउट के प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा संस्था कोड की सील

लगाकर हस्ताक्षर किये जाये तथा हस्ताक्षरित उक्त रिपोर्ट की स्वच्छ प्रति स्केन कर PDF file में रूपान्तरित करने के पश्चात उक्त PDF file विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी onlineintpra@gmail.com दिनांक 17/07/2024 तक भेजना सुनिश्चित करें।

4. जिन विद्यार्थियों को नामांकन विभाग द्वारा रोका गया है। उन्हें प्रवेश पत्र जारी न किये जाये एवं किसी भी स्थिति में आंतरिक अंको की प्रविष्टि पोर्टल पर न की जाए।

(ब) पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक अंक

1. पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक अंको को ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 30/06/2024 निर्धारित की गई है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा/2008/322 दिनांक 06 सितम्बर 2008 के द्वारा पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समस्त संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग निम्नलिखित दिशा-निर्देश के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा संपादित करें :-

- पीजीडीसीए तथा डीसीए पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग अपने केन्द्र पर अपने ही छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा स्वयं संचालित करेंगी।
- प्रायोगिक परीक्षकों की नियुक्ति संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष स्वयं करेंगे। किन्तु परीक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा:-
  (अ) विश्वविद्यालय के शिक्षक
  (ब) प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (शासकीय एवं अर्धशासकीय) के शिक्षक
  (स) शासकीय महाविद्यालय के शिक्षक
  (द) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षक
- बाह्य परीक्षक कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों तथा उनके पास कम्प्यूटर विधा की एम.एस.सी (सी.एस.), एम.एस.सी.(आई.टी.), एम.सी.एम., बी.ई., एम.टेक. एम.सी.ए. में से किसी एक की उपाधि हो। बाह्य परीक्षक को नियुक्त किया जाकर संस्था प्रभारी इन तथ्यों/योग्यता को प्रमाणित करेंगे।
- बाह्य परीक्षक यथासंभव स्थानीय हों तथा उन्हें देय राशि निर्धारित मानदण्ड अनुसार संस्था स्वयं वहन करेंगी। विश्वविद्यालय इनका भुगतान नहीं करेगा।
- उत्तरपुस्तिकाएँ अध्ययन संस्था/शैक्षणिक विभाग स्वयं उपलब्ध करायेंगे।

- परीक्षा के अंको की स्कीम अधिसूचना क्र. 5330 दिनांक 11/03/2024 के अनुसार है।

3. परीक्षा **मई–जून** 2024 के लिए प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा के अंक विभाजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. 1351 दिनांक 23 जनवरी 2016 द्वारा घोषित की गई है जो निम्नानुसार है :–

- आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंक में से 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के आधार पर।
- आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंक में से 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी की उपस्थिति पर।
- आंतरिक मूल्यांकन के अंक में से 25 प्रतिशत अंक विद्यार्थी के कक्षा एवं संस्थान में व्यवहार पर।

इन अंको का अलग संधारण विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के विभाग प्रमुखों द्वारा किया जाये। वे इन्हें सुरक्षित रखेगें तथा परीक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवायेगें।

4. **विद्यार्थी आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है या अनुपस्थित है, तो वह सैद्धांतिक परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं हैं।** ऐसी स्थिति में विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था यह सुनिश्चित करें कि ऐसे किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश पत्र जारी न हो, जो आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित है।

5. अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग अपने एम.पी. ऑनलाईन लॉगइन से उपस्थिति पत्रक तथा पर्ण (Foil) का प्रपत्र निकालकर प्रायोगिक परीक्षक को सौंपें। परीक्षा संपन्न कराने के उपरांत प्रायोगिक परीक्षक छात्रों के अंक निर्धारित प्रपत्र में भरें एवं हस्ताक्षर कर, भरा हुआ प्रपत्र स्केन कर **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी पर दिनांक** 17/07/2024 तक मेल करें।

6. अध्ययन संस्था प्रभारी/विभागाध्यक्ष **प्रायोगिक अंकों की ऑनलाईन प्रविष्ठि अंतिम तिथि दिनांक** 30/06/2024 तक करें। प्रविष्टि के उपरांत रिपोर्ट का स्पष्ट प्रिंट (बारकोड सहित) निकालकर परीक्षक एवं संचालक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, परीक्षा सामाग्री के साथ, चैक लिस्ट, हस्ताक्षरयुक्त अंक, प्रजेन्ट/एबसेन्ट फारमेट, प्रमाण पत्र, टाईम–टेबल, परीक्षक का बायोडेटा, परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक को स्केन कर **.PDF file** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ईमेल आईडी **onlineintpra@gmail.com** पर सेन्टर कोड के नम्बर से सेव कर

विश्वविद्यालय में **अंतिम तिथि दिनांक 17/07/2024 तक ईमेल करना सुनिश्चित करें।**

7. अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग सीसीटीवी कैमरे लगवाकर प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराएँ। इनका व्यय संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी रिकार्डिंग (सीडी) को संस्था/विभाग अपने पास रखे एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंको के साथ रिकार्डिंग **onlineintpra@gmail.com** पर भी ईमेल करना अनिवार्य है।

8. इस परिपत्र के साथ प्रायोगिक/प्रोजेक्ट/आंतरिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का नमूना संलग्न है। अध्ययन संस्था/ शैक्षणिक विभाग इस नमूने के अनुसार उत्तरपुस्तिका मुद्रित कराकर परीक्षा में उपयोग करें। उपयोग की गई उत्तरपुस्तिका को सील-साइन कर संस्था/विभाग स्वयं अपने पास परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 माह तक रखे। विश्वविद्यालय के द्वारा यदि मांग की जाती है तो प्रस्तुत करना होगी। यह उत्तरपुस्तिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी मांगी जा सकती है।

अध्ययन संस्थाएँ/शैक्षणिक विभाग समस्त पाठ्यक्रमों के आंतरिक अंकों एवं पीजीडीसीए/डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक प्राप्तांको के प्रिन्ट आउट (हार्डकापी) को आवश्यक हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ अपनी संस्था में सुरक्षित रखे तथा स्केन कॉपी दिनांक 17/07/2024 तक ईमेल **onlineintpra@gmail.com** के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रेषित करें। कृपया समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करें जिससे परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब न हो।

20/05

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नः-
1. चैक लिस्ट।
2. प्रमाण पत्र का प्रारूप।
3. उत्तरपुस्तिका का नमूना।
4. प्रेजेन्ट/अबसेन्ट फार्मेट।

प्रतिलिपिः- 5546.
1. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त प्रभारी, खंडवा परिसर, नोयडा परिसर, ग्वालियर, रीवा, दतिया एवं अमरकंटक परिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी, समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन लि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट की ओर अपलोड करने हेतु।

20/05

परीक्षा नियंत्रक